श्रीनिवास पराड़कर

म.प्र/छ.ग आचरण नियम

M.P./C.G. Civil Services (Conduct) Rules, 1965

म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965

[M.P./C.G. Civil Services (Conduct) Rules, 1965]

विषय सूची

आचरण नियम 1965 के लागू होने बावत् शासन निर्देश

राज्य शासन के निर्देश-

(1) म.प्र.सा.प्र. वि. क्र. डी-115/68/I/(3) दिनांक 21-7-1977 — कार्यभारित तथा आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये आचरण नियम, 1965 के प्रावधान लागू। — 1

(2) म.प्र.सा.प्र. वि. क्र. सी-5-1/93/31/दिनांक 15 जुलाई 1993 — स्वायत्त संस्थाओं में आचरण नियम लागू करने बाबत्। — 2

(3) म.प्र.सा.प्र. वि. क्र. सी-5-3/94/3/1/दिनांक 10 अक्टूबर 1994 — मध्यप्रदेश स्वायत्त संस्थाओं में आचरण नियम, 1965 लागू करने के संबंध में। — 2

नियमों से संबंधित निर्देश तथा नियमों के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965

नियम 1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा प्रयुक्ति — 3

नियमों की प्रभावशीलता के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णयः-

(1) प्रत्येक कानून अथवा कानूनी नियम भविष्यलक्षी होता है जब तक कि उसे अभिव्यक्तः अथवा आवश्यक विवक्षा द्वारा भूतलक्षी प्रभाव न दिया गया हो — 4

(2) आचरण नियम-प्रस्तावना-उद्देश्य — 4

(3) सामान्य/विशिष्ट आदेशों को, जब तक विशेष रूप से ऐसा प्रावधानित न हो, इन्हें वैध करने हेतु राजपत्र में प्रकाशित कराने की आवश्यकता नहीं- शक्तियों का प्रत्यायोजन — 5

(4) जहाँ नियम नहीं बनाये गए हैं वहाँ सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु प्रशासनिक अनुदेश जारी किए जा सकते हैं — 6

(5) प्रशासनिक अनुदेश सांविधिक नियमों का स्थान नहीं ले सकते — 6

(6) सेवा शर्तों में परिवर्तन- सेवा की प्रकृति सरकार द्वारा पूर्णतः परिवर्तित नहीं की जा सकती — 7

(7) राज्यपाल के अनुदेशों से सेवा नियम संस्थापित नहीं हो सकते — 7

(8) प्रशासनिक अनुदेश भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं हो सकते — 7

(9) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाये गये नियमों के संबंध में जारी स्पष्टीकरण, नियमों के विस्तार के बाहर, अतः स्पष्टीकरण अवैध — 7

(10) सांविधिक नियमों के अनुसार ही प्रशासनिक अनुदेश जारी करना चाहिये — 7

(11) सांविधिक परिशिष्टों को पुस्तकों के सन्दर्भों से नहीं बल्कि केवल प्राधिकारपूर्ण आदेशों द्वारा ही स्पष्ट किया दा सकता है — 8

(12) सांविधिक नियमों पर अधिनियम अभिभावी होगा तथा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत बनाये नियम, अनुच्छेद 73 के अधीन जारी कार्यपालक अनुदेशों में यदि विवाह हो तो, अभिभावी होगा- किन्तु ऐसे अनुदेश जो नियमों या अधिनियमों के पूरक हैं, ये बाध्यकर होंगे 8

(13) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के स्थायी आदेशों के प्रावधान कार्यपालक अनुदेशों से अधिक बल रखते हैं 9

(14) प्रशासनिक अनुदेश/कार्यवाही कब न्यायिक पुनरीक्षण योग्य होते हैं 10

नियम 2

परिभाषाएँ

(Definitions)

1. नियम 11

2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश - आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें 11

नियम 3

सामान्य (General)

नियम 3-क. तत्परता तथा शिष्ट व्यवहार 12

नियम 3-ख. शासन की नीति का पालन करेगा 12

1. नियम 12

2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश - 12

(1) आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें 13

(2) Government servant's role in the eradication of untouchability 13

(3) Seeking redress in courts of law by Government servants of grievances arising out of their employment or conditions of service. 13

(4) म.प्र.सा.प्र.वि. क्र. 489/475/I (3)/71 भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर, 1971 — शासकीय सेवकों द्वारा शासकीय आवास गृहों को स्थानान्तर के बाद खाली न करना 14

(5) म.प्र.सा.प्र.वि. क्र. 460/सी. आर./396/एक (3) भोपाल, दिनांक 28 अगस्त, 1971 — विभागीय जांचों में गवाही के लिये शासकीय सेवकों की उपस्थिति । 14

(6) म.प्र.सा.प्र.वि. (6) एफ क्र. 5-1/77/3/1 भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर, 1977 — अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के साथ शासकीय सेवकों का व्यवहार। 15

(7) म.प्र.सा.प्र.वि. क्र.सी. 6-5/86/3/1 भोपाल, दिनांक 8.1.87 — गिरफ्तार किये गये शासकीय सेवक की गिरफ्तारी की सूचना । 15

(8) म.प्र.सा.प्र.वि. क्र.एफ. 18/6/92/जी/19, भोपाल, दिनांक 26.03.1992 — शासकीय आवासों में बिना अनुज्ञा के संशोधन, परिवर्तन एवं अतिक्रमण बाबत । 16

(9) म.प्र.सा.प्र.वि. क्र. सी.3-107/92/3/1, भोपाल, दिनांक 30 अगस्त, 1993	शासकीय सेवा में नियुक्तियों के संबंध में अविहित सूत्रों से प्राप्त अनुशंसाओं पर कार्यवाही ।	16
(10) म.प्र.सा.प्र.वि. क्र.सी. 5-2/94/3/I, भोपाल, दिनांक 27 अगस्त, 1994	"कार-सेवा" में भाग लेने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही ।	17
(11) म.प्र.सा.प्र.वि. क्र.एफ.11(30) 94/1-10, दिनांक 7.11.1994	लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार।	17
(12) म.प्र.सा.प्र.वि. क्र.सी. 6-5/2006/3/1,दिनांक 16-11-06	शासकीय सेवा में आने के लिये गलत जानकारी दी जाने व तथ्यों को छुपाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही।	18
(13) म.प्र.सा.प्र.वि. क्र.सी. 6-6/95/3/एक, भोपाल दिनांक 3.1.96	उच्च स्तर से प्राप्त मौखिक निर्देश/आदेश/हिदायतों की लिखित पुष्टि कराये जाने बाबत।	19
(14) छ.ग.शा.सा.प्र.वि.क्र. एफ-02-01/2014/1-3, दि. 6.2.14	उच्च स्तर से प्राप्त मौखिक निर्देश/आदेश/हिदायतों की लिखित पुष्टि कराना ।	19

नियम 3 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) अवचार की परिभाषा 20

(2) सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता का अर्थ 21

(3) अशोभनीय आचरण 22

(4) अवचार क्या है 22

(5) व्यक्तिगत स्वभाव या व्यक्तिगत कुशलता में कमी, अनुशासनिक कार्यवाहियों के लिये दुराचार का आधार नहीं बनाया जा सकता 23

(6) अवचार सम्बद्ध स्थायी आदेश अथवा सेवा विनियम में अवश्य ही प्रगणित होना चाहिये तभी किसी कर्मकार को उसके आधार पर दंडित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं- तात्विक तथ्यों को छिपाने का दोष अवचार है 23

(7) 'शासकीय सेवक के लिये अशोभनीय कार्य' का अर्थ सामान्य बुद्धि के अनुसार लगाना चाहिये- परीक्षण 24

(8) लापरवाही के लिये कदाचार- जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि कर्मचारी ने धन के दुर्विनियोजन को सुविधाजनक बनाने में भाग लिया था, तब तक उसको चेकबुक रखने में की गई लापरवाही के लिये अवचार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता 25

(9) कदाचार- यदि कदाचार से दांडिक निष्कर्ष निकलते हैं तो नियोजक इसके लिये बाध्य है कि वह उसे विनिर्दिष्ट तौर पर बताए और यदि आवश्यक हो तो सुनिश्चित ढंग से उसे परिभाषित करे जिससे कि किसी घटना का कोई अधिकृत निर्वचन अवचार न माना जाए 25

(10) कदाचार-कर्मचारी द्वारा दीर्घकालीन निष्कलंक सेवा के दौरान वरिष्ठ अधिकारी के बारे में केवल एक बार अविवेकी अशिष्ट या धमकी देने वाली भाषा के प्रयोग पर पदच्युति का दण्ड अनुपातहीन एवं अत्यधिक-दंड कदाचार के अनुपात में होना चाहिये 26

(11) उच्च अधिकारियों को सीधे अभ्यावेदन प्रस्तुत करना दुराचरण का कृत्य नहीं है 28

(12) अभ्यावेदन में अपमानजनक तथा निन्दात्मक भाषा का प्रयोग तथ्यों के आधार पर सिद्ध नहीं 28

(13) शासकीय आवास का उपयोग अथवा दुरुपयोग करने हेतु जांच-ऐसी जांच अनुशासनिक जांच नहीं बल्कि घरेलू जांच हो सकती है। शिकमी किरायादार रखने की तिथि से ही मानक किराया अनुज्ञेय 28

(14) अवचार- अनधिकृत रूप से शासकीय आवास रखना क्या आचरण नियम 3 के अंतर्गत अवचार है ? नहीं - आवास रिक्त कराने के लिये अनुशासनिक कार्यवाही तथा अनिवार्य सेवानिवृत्ति करना अनुचित- अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश अपास्त - सभी सेवा लाभ देय 29

(15) नियम 3- ज्ञात आय से अनुपातहीन परिसम्पत्ति का होना- विभागीय जांच- संकीर्ण मनस्त तथा शासकीय सेवक की सन्निष्ठता के आंकलन के मूल्यांकन के विरुद्ध आपत्ति-सूचना 10 प्रतिशत कुशन देने के बाद भी कम से कम रुपये 9,500 की असंगत परिसम्पत्ति रखने का दोषी- आवेदन खारिज 30

(16) कदाचार-ज्ञात आय के स्त्रोतों के अनुपातहीन परिसम्पत्ति का रखना- आयकर प्राधिकारियों तथा विभागीय जांच में उठे प्रश्न पूर्णतः भिन्न और विपरीत - अतः आयकर से मुक्त होने पर विभागीय जांच में दोषी पाये जाने का निष्कर्ष प्रभावित नहीं होगा 32

(17) (17-क) विभागीय जांच-कदाचार-ज्ञात आय के स्त्रोतों से अनुपातहीन परिसम्पत्ति का रखना- साक्ष्यों के मूल्यांकन के आधार पर अनुशासनिक/अपीलीय प्राधिकारी के निष्कर्ष--न्यायिक पुनर्विलोकन-न्यायालय या अधिकरण साक्षियों पर आधारित निष्कर्षों पर हस्तक्षेप कर अपने निष्कर्ष प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। 33

(ख) लोक सेवक के ज्ञात आय के स्त्रोतों से अनुपातहीन परिसम्पत्ति रखना-यद्यपि यह वर्गीकरण नियमों के 'दुराचरण के परिभाषा में शामिल नहीं है, किन्तु ऐसा होते हुए भी यदि अपचारी ऐसी परिसम्पत्ति का लेखा देने में असफल रहता है तो इसे दुराचरण माना जाएगा क्योंकि यदि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के सेक्शन 5(1)(ई) के संघटक का दोषी पाया जाता है तो सजा का भागी होगा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का सेक्शन 13 (1) (ई)। 34

(ग) विभागीय जाँच-शास्ति-अनुशासनिक कार्यवाहियों के दौरान पदोन्नति यह लम्बित कार्यवाहियों के परिणाम के अधीन है और अतः उचित शास्ति अधिरोपित करने में बाधा नहीं डालेगी। 34

(घ) विभागीय जाँच-प्रारंभ करने में विलम्ब-क्या अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है- यह मामले के तथ्यों पर निर्भर होगा-ऐसे मामलों में आवश्यक तथ्यों को एकत्रित करने 34

में समय लगता है अतः संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं होगा।
(18) लोक सेवक की सत्यनिष्ठा विश्वसनीय सारवान् के आधार पर निश्चित होनी चाहिये- ऐसा निश्चय लेने हेतु अनुसरण करने वाली प्रक्रिया 36
(19) न्यायिक/अर्थ-न्यायिक कृत्यों के प्रयोग में अधिकारी द्वारा, लिया गया विनिश्चय अधिकारी के विरुद्ध कब अनुशासनिक कार्यवाहियों का आधार बन सकता है- परीक्षण-क्या विनिश्चय उसके पदीय कर्तव्य के विस्तार के भीतर है-यद्यपि सुस्पष्टता त्रुटिपूर्ण निर्णय के मामले में, यदि अपनी शक्ति के अधिकार से लिया गया है, कोई अनुशासनिक कार्यवाही नहीं होगी, किन्तु यदि भ्रष्ट या अनुचित उद्देश्य के अनुवर्ती में निर्णय लिया गया है तो अनुशासनिक कार्यवाही होगी। यह प्रत्येक मामले के परिस्थितियों पर निर्भर होगा। इस मामले में निर्णय त्रुटिपूर्ण हो सकता है, किन्तु अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार या असंगत विचार का अभिकथन नहीं है, अतः उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की जा सकती 37
(20) आचरण नियम 3 (1) (i), (ii) तथा (iii)- न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक शक्तियों का शासकीय अधिकारी द्वारा प्रयोग करना- यदि अधिकारी किसी व्यक्ति पर अनुचित उपकार लापरवाही या अंधाधुन्ध से प्रदान करता है तो नियमों के उल्लंघन के लिये सरकार अनुशासनिक कार्यवाही हेतु सक्षम है।
अर्ध-न्यायिक कृत्यों का प्रयोग करते हुए निर्णित मामलों में क्या वह अधिकारी अनुशासनिक कार्यवाहियों से उनमुक्ति का उपयोग कर सकता है- नहीं। प्राधिकार के आदेश की वैधता को अधिनियम के अंतर्गत अपील या पुनर्विलोकन में चुनौती दे सकता है 38
(21) न्यायालय द्वारा अवचार बाबत राज्य सरकार के विवेकाधिकार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता 39
(22) अवचार का एक आरोप सिद्ध होने पर भी शास्ति आदेश कायम रहेगा 40
(23) स्थापित आरोप में अवचार स्पष्ट नहीं- अतः आरोप असफल 40
(24) निजी जीवन में किये गये अवचार हेतु शासकीय सेवक पर शास्ति अधिरोपित करने में राज्य की शक्ति 40
(25) 'अवचार' और 'आपराधिक अवचार' में विभेद 40
(26) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 4 तथा 5 40
(27) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 4 40
(28) अभियोजन चलाने के लिए सरकार से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं 41
(29) कौन से कृत्य अवचार है- 41
(i) धमकी भरा पत्र लिखना 41
(ii) ज्येष्ठ अधिकारी के विरुद्ध असत्य कथन करना 41
(iii) ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक परिसम्पत्ति रखना 41
(iv) अनुपस्थित रहना और की गई कार्यवाही के विरुद्ध भूख हड़ताल का सहारा लेना । 41

(v) ट्रक में आग लगाना, असावधानी का पर्याप्त प्रमाण 42
(vi) वाहन से पेट्रोल निकालकर शराब हेतु उसे बेचना 42
(vii) मानमानी यात्रा करना 42
(viii) कार्यालय के बाहर महिला कर्मचारी से अभद्र व्यवहार करना 42
(ix) झूठी अपराधिक शिकायत लिखाना, कृतक नाम से शिकायत भेजना 42
(x) दूसरे शासकीय सेवक पर प्रहार करना 42
(xi) उचित माध्यम का अनदेखा कर सीधे अभ्यावेदन प्रस्तुत करना 42
(xii) धरना में भाग लेना हड़ताल है, अतः अवचार तहै 42
(xiii) भूख हड़ताल पर बैठना 42
(xiv) ड्यूटी के निर्वहन में लापरवाही/असावधानी 42
(xv) कर्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति 42
(xvi) बिना लायसेन्स हथियार रखना 42
(xvii) विभागीय निर्देशों के अनुसार काम न करना 42
(xviii) अन्धाधुन्ध वाहन चलाने से क्षति होना 42
(xix) पर्यवेक्षण के उत्तरदायित्व का निर्वहन न करना 43
(30) **कौन से कृत्य अवचार नहीं हैं-** **43**
(i) यूनियन के सचिव की हैसियत से रेल दुर्घटनाओं के कारणों के बारे में रेल सेवकों की प्रतिक्रियाओं और विचारों का प्रकाशित करना । 43
(ii) गृह निर्माण/स्कूटर अग्रिम का वापस न करना 43
(iii) अनुपस्थिति में ठेकेदार की त्रुटिपूर्ण सेन्ट्रिग तथा शटरिंग के कारण छत का गिरना । 43
(iv) टेलीफोन यंत्रों को स्टाक से घर ले जाना 43
(v) भूतलक्षी प्रभाव से अवचार के कृत्य लागू नहीं किए जा सकते 43
(vi) बदमाशों ने डाकघर से धनराशि को लूटा, अतः नियम 3(1)(i) तथा (ii) लागू नहीं । 43
(vii) बीमारी के कारण अनुपस्थिति 43
(viii) शासकीय आवास का स्थानान्तर पर रिक्त न करना 43
(ix) अग्रिम या उधार लेने की शर्तों का उल्लंगन करना 43
(x) अर्ध न्यायिक शक्ति के प्रयोग में निर्णय की त्रुटि अवचार नहीं, किन्तु गलत निर्णय के पीछे यदि भ्रष्ट अभिप्राय पाए जाएँ तो अवचार होगा । 44
(xi) कार्यक्षमता का उच्चतम मानदण्ड प्राप्त करने की असफलता 44
(xii) मनमाना निर्धारित लक्ष्य प्राप्थ करने की असफलता 44
(xiii) शासकीय आवास में अनाधिकृत रूप से रहना 44
(xiv) आवंटन निरस्त होने के बाद भी आवास खाली न करना 44
(xv) चार यात्रियों को बस टिकट न देना बेईमानी का इरादा नहीं 44
(xvi) अपात्र व्यक्ति द्वारा पदोन्नति स्वीकार करना 44
(xvii) विरोधाभासी बयान देना 44

(31) ड्यूटी के समय ताश खेलने पर हेड कान्सटेबल को सेवा से हटाया गया- प्रशासनिक अधिकरण ने शास्ति आदेश अपास्त कर बहाली का आदेश दिया- उच्चतम न्यायालय ने शास्ति कठोर पाया- पिछले वेतन की पात्रता न करते हुए सेवा में बहाल करने का निर्णय दिया । 44

नियम 4

शासकीय संरक्षण प्राप्त प्राइवेट उपक्रमों में, शासकीय सेवकों के निकट सम्बन्धियों का नौकरी में रखा जाना

(Employment of near relatives of Government servant in private undertaking enjoying Government partonage

1. नियम 46
2. राज्य शासन के अनुदेश- आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें 46

नियम 5

राजनीति तथा निर्वाचनों में भाग लेना

(Taking part in Politics and Elections

1. **नियम** 47
2. **राज्य शासन के निर्देश-**
(1) General Book Circular - Part I, Serial No. 9, Para 4 47
(2) 2904/3763/I (iii)/66, dt. 23.12.1966 — Association of Government servants with the activities of R.S.S.S./Jamaat-e-Islami. 48
(3) 498/629/एक (3)/72 दिनांक 23.8.1972 — सरकारी कर्मचारियों का अखिल भारतीय मजदूर संघ के कार्यकलापों के साथ साहचर्य। 49
(4) 542/सी.आर. 353/एक (3) दिनांक 14 सितम्बर, 1972 — शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिक संस्थाओं से संबंध न रखने बाबत। 49
(5) एफ 5-1/74/3/1, दिनांक 15 मई, 1974 — शासकीय सेवकों द्वारा छत्तीसगढ़ प्रान्त संघ के कार्य-कलापों में भाग लेने संबंधी आदेश को निरस्त करना। 50
(6) एफ 5-3/74/3/1 दिनांक 3 सितम्बर, 1974 — शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिक विद्यार्थी संगठनों में भाग न लेने के संबंध में। 50
(7) एफ 5-3/74/3/1, दिनांक 30 अप्रैल, 1975 — शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिक विद्यार्थी संगठनों में भाग न लेने के संबंध में। 50
(8) डी. 2/6/1 (3)/78, दिनांक 3 जून, 1978 — राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान में शासकीय कर्मचारियों के भाग लेने बाबत। 51
(9) 171/52/1 (3)/81, दिनांक 16 अप्रैल, 1981 — शासकीय सेवकों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा जमाएत-ए-इस्लामी के कार्यकलापों में भाग लेने के संबंध में। 51
(10) 173/165/1/ (3) 81, दिनांक 16 अप्रैल, 1981 — शासकीय कर्मचारियों को "आनन्द मार्ग" के कार्य-कलापों के साथ सहाचर्य। 52

(11) 562/1695/एक (3) 81, दिनांक 24 नवम्बर, 1981	शासकीय कर्मचारियों को 'आनन्द मार्ग' के कार्य-कलापों के साथ साहचर्य।	53
(12) सी-3-16/88/3/49, दिनांक 22 अगस्त, 1988	शासकीय कर्मचारियों को बहुजन समाज पार्टी बामसेफ डी. एफ-4 के कार्यकलापों के साथ साहचर्य।	53
(13) सी. 5-2/93/1, दिनांक 29 अप्रैल, 1993	शासकीय कर्मचारियों का प्रतिबंधित संगठनों के साथ साहचर्य।	53
(14) एफ-24-19/93/सी/1, दिनांक 20 अगस्त, 1993	शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिबंधित संगठनों से संबंध रखने संबंधी शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही।	54
(15) एफ. 19-36/94/1/4, दिनांक 23 मार्च, 1994	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 129 के अंतर्गत निर्वाचनों में आफिसरों द्वारा अभ्यर्थियों के लिये कार्य न करने बाबत निर्देश।	55
(16) 527/567/1 (3)/71 दिनांक 23 सितम्बर, 1997	शासकीय सेवकों द्वारा छत्तीसगढ़ के कार्यकलापों में भाग लेने संबंधी।	58
(17) सी-5-2/2000/3, दिनांक 30 मई, 2000	शासकीय सेवकों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकलापों में भाग लेने के संबंध में।	58
(18) सी/5-27/2000/3/एक, दिनांक 14/21-8-2006	शासकीय सेवकों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकलापों में भाग लेने के संबंध में ।	59
(19) सी.-5-1/2011/3/एक, दिनांक 27 मार्च 2011	शासकीय अधिकारी की किसी राजनैतिक दल, राजनैतिक विद्यार्थी संगठनों के कार्यक्रम में उपस्थिति।	59

नियम 5 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) शासकीय सेवा में आने से पूर्व राजनीतिक पार्टी से सम्बन्ध-मात्र इस आधार पर शासकीय सेवा से हटाया जाना अनुचित कि पुलिस ने यह रिपोर्ट की थी कि वह किसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा जनसंघ से सम्बद्ध था 60

(2) साम्यवादी पार्टी के सदस्यों से संबंध रखना-राजनीतिक पार्टी के कार्यकलापों में रुचि रखना- Civil Service (Safeguarding of National Security) Rules, 1949 का नियम 3 तथा 4- विनाशक कार्यकलापों से संबंध रखना नहीं है, अतः नियम 3 लागू नहीं 60

(3) केवल रैली में उपस्थित रहना- नियम 5 आकृष्ट नहीं होगा 62

(4) राजनीतिक मीटिंग में निश्चेष्ट उपस्थिति (passive attendance) होना अनुचित नहीं 62

(5) शासकीय परिसरों में सभा का प्रतिषेध उचित 63

नियम 6

प्रदर्शन तथा हड़ताल

(Demonstration and Strike)

1. **नियम** 64

2. **म.प्र. राज्य शासन के निर्देश**

(1) डी. 300/2051/87/ आर-1/चार, 20.6.1988	मूलभूत नियम 17-ए	64
(2) 800-1267-1(3) दिनांक 5 नवम्बर, 1975	शासकीय सेवकों के प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल आदि पर प्रतिबंध।	65
(3) सी-9-2/90/3/1, दिनांक 2 फरवरी, 1991	शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों, धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में।	66
(4) सी/9-3/93/3/1 दिनांक 2.9.1993	शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़ताल, धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय में अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में ।	66
(5) सी.-5-2/94/3/1, दिनांक 27 अगस्त, 1994	'कार सेवा' में भाग लेने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही।	67
(6) एफ-3-2/1/वे.आ.प्र./98 दिनांक 14 सितम्बर 1998	शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़ताल, धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में ।	67
(7) एफ 1-3/2002/वि.आ.प्र./1, दिनांक 12 फरवरी 2002	म.प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, म.प्र. लघुवेतन कर्मचारी संघ एवं म.प्र. लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ द्वारा आंदोलन/हड़ताल की सूचना ।	68
(8) 1744/2940/06/1/3, दिनांक 5.08.2006	शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़ताल, धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में।	68
(9) 3170/3440/2006/1/3 दिनांक 22.11.2006	शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़ताल, धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि के संबंध में ।	68

छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश

(1) एफ 2-3/1/9/2006, दिनांक 10 अप्रैल, 2006	शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों, धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में ।	70

नियम 6 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) उच्चतम न्यायालय के मतानुसार 'प्रदर्शन के किसी स्वरूप' पर प्रतिबंध, संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) तथा (बी) में दिए अधिकारों का उल्लंघन है, हड़ताल पर प्रतिबंध उचित — 72

(2) प्रदर्शन और हड़ताल में अंतर-संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के अंतर्गत हड़ताल करना मूलभूत अधिकार नहीं- जब हड़ताल गैरकानूनी घोषित कर दी गई तब इससे सम्बन्धित सभी गतिविधियाँ अवैध- प्रशासनिक शालीनता के हित में जब शासकीय सेवक को हड़ताल से वर्जित किया गया, तब ऐसी कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 असंवैधानिक नहीं । — 74

(3) हड़ताल (बंद) के दिन अनुपस्थित रहना- क्या सेवा में व्यवधान लागू किया जा सकता है ? नहीं । 76

(4) हड़ताल के दौरान अनुपस्थित- चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति - आदेश लोक सेवा हितार्थ में नहीं अतः अपास्त करने योग्य । 76

(5) संगठन या यूनियन बनाने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है- ट्रेड यूनियन का काम ही श्रमिकों की आवाज उठाना है- हड़ताल में भाग लेना ट्रेड यूनियन के क्रियाकलाप का एक भाग है, अतः पदच्युत किए गए कर्मचारों को काम पर वापस लेना न्याय के हित में होगा । 77

(6) नियम 6(दो) के अंतर्गत समयोपरि कार्य (overtime wor :) से इंकार करना हड़ताल है। 77

मूलभूत नियम 17-ए - अप्राधिकृत अनुपस्थिति- सेवा : विच्छेद - नियम की संवैधानिक विधिमान्यता अनुमोदित - यदि समयोपरि कार्य : इन्कार किया जाता है तो इस नियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

नियम-7

शासकीय सेवकों द्वारा अवकाश पर प्रगमन

(Proceeding on leave by Govt. Servants)

1. नियम 79

2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश 79

(1) 62/1464/I (3).79, 28.01.1980 — अनधिकृत अनुपस्थित की अवधि में कर्मचारी का निलम्बन । 80

(2) सी. 3-12/90/3/49 19.07.1990 — शासकीय सेवकों की अनधिकृत अनुपस्थिति/ अनधिकृत अवकाश आनुशासिक कार्यवाही। 81

(3) सी. 6-36/92/3/1 5.9.1992 — शासकयी सेवकों की अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में । 81

(4) सी. 3-7/1/3/99 25.2.1999 — शासकीय सेवकों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृति 83

(5) सी-6-3/2000/3/एक 2.2.2000 — शासकीय सेवकों की अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही । 83

(6) सी.6-6/2000/3/एक 16.8.2000 — अनधिकृत अनुपस्थिति या कर्तव्य विमुख शासकीय सेवकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही । 84

छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश

एफ 3-1/2014/1-3 दिनांक 10-02-2015 — अनाधिकृत अनुपस्थिति या कर्तव्य विमुख शासकीय सेवकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही। 85

3. नियम 7 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) ड्यूटी से अनुपस्थिति-स्वीकृति अवकाश के बाद अनुपस्थित रहना- जोधपुर सेवा विनियमन के नियम 13 के अंतर्गत सेवा की समाप्ति अनुचित 87

(2) लम्बी बीमारी के कारण ड्यूटी से अनुपस्थित-नियमों में ऐसा प्रावधान होने के बावजूद भी अपने आप सेवा समाप्ति नहीं हो सकती 87

(3) न्यायालय से डिक्री प्राप्त करने के बाद भी सम्बन्धित प्राधिकारियों ड्यूटी ज्वाइन करने की अनुमति नहीं दी- 5 वर्षों से अधिक समय की अनुपस्थिति-नियमों के अंतर्गत अपने आप सेवा समाप्ति से अनुच्छेद 311 का उल्लंघन हुआ 88

(4) स्थाई शासकीय सेवक का पांच वर्षों से अनुपस्थित रहना- शासन द्वारा कोई कार्यवाही न करना-पुनः स्थापना हेतु अवमुक्ति-न्यायालय द्वारा दिया जाना 88

(5) पुत्र की बीमारी के कारण, स्वीकृत अवकाश के बाद अनुपस्थित रहना- संवैधानिक प्रावधानों का पालन न करते हुए, नियमों के अंतर्गत अपने आप सेवा का समाप्त करना- अवैधानिक 88

(6) अध्यापक का परीक्षा देने जाना और इसे जानबूझकर अनुपस्थिति मानते हुए सेवा समाप्त करना-आदेश अपास्त 89

(7) अधिकारी बीमारी के कारण अवकाश पर था। स्वस्थता प्रमाण-पत्र उसे न देने के-कारण ड्यूटी पर नहीं लिया गया। इसे जानबूझकर अनुपस्थित रहना मानकर पाँच वेतनवृद्धियाँ रोकने की शास्ति दी गई। ऐसी परिस्थिति में अनुपस्थित मानना अनुचित 89

(8) दुराचरण-स्वीकृत अवकाश के बाद अनुपस्थिति-स्वीकृत अवकाश के पूर्व अवकाश बढ़ाने का आवेदन देना किन्तु इससे इन्कार न करना-दुराचरण का दोषी नहीं-स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति बाबत दी गई नोटिस की स्वीकृति आवश्यक नहीं-मूलभूत नियम 56 तथा केन्द्रीय पेंशन नियम 48(1) 90

(9) ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण आचरण नियम 3(1)(ii) तथा (iii) का जानबूझकर उल्लंघन करने बाबत आरोपित- स्वेच्छया सेवानिवृत्ति अनुज्ञात- सिद्ध आरोप के आधार पर पेंशन तथा उपदान की सम्पूर्ण राशि का रोकना- यह दण्ड अवचार की गंभीरता के अनुरूप न होना, अतः कार्यवाही अवैध तथा अविधिमान्य 91

(10) कर्तव्य से अनुपस्थित अवधि को बिना कारण बताओ नोटिस दिए अकार्य दिवस (dies non) मानना-नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन 92

(11) आकस्मिक अवकाश- कर्तव्य और मुख्यालय से अनुपस्थिति-आकस्मिक अवकाश तथा मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति हेतु आवेदनपत्र दिया-न स्वीकार और न अस्वीकार किया गया-ऐसी परिस्थितियों में अनधिकृत अनुपस्थिति का आरोप कायम नहीं रखा जा सकता शास्ति आदेश अपास्त 93

(12) अवकाश अवधि से अधिक रुकने पर पदच्युत का औचित्य-जहाँ अवकाश का बढ़ाना अस्वीकार किया गया किन्तु सेवक स्वेच्छा से नहीं बल्कि अप्रतिरोध्य परिस्थितियों के कारण कुछ दिन और अनुपस्थित था, वहाँ पदच्युत अनुचित, लघु शास्ति दी जा सकती है- शास्ति अनुपातहीन। 94

(13) जानबूझकर अनुपस्थित-तथ्यों के आधार पर अभिनिर्धारित, अवकाश स्वीकृत कर जब अनुपस्थिति नियमित कर दिया गया हो तो शास्ति अधिरोपित करने के लिये इसे दुराचरण नहीं माना जा सकता। 94

(14) स्वीकृत अवकाश की समाप्ति से पूर्व ड्यूटी पर वापसी- उपस्थिति रिपोर्ट का यह अर्थ नहीं कि स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व ड्यूटी ज्वाइन करने की अनुमति मांगी गई थी। केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 का नियम 24 (1)- म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 का नियम 23 (1)। 95

(15) प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद ड्यूटी से अनुपस्थित रहना-विभागीय जांच के बाद पदच्युति की शास्ति अधिरोपित-प्रकरण की परिस्थितियों और दुराचरण के स्वरूप के प्रकाश में उच्च न्यायालय ने पदच्युति के स्थान पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति अन्तःस्थापित किया। 95

(16) अस्थायी सेवक अपनी सेवा की अधिकांश अवधि में अवकाश पर था- इससे ऐसा प्रदर्शित है कि उसे कार्य में रुचि नहीं है-अतःअस्थायी सेवा नियमों के नियम 5 (1) के अंतर्गत सेवा की समाप्ति का आदेश उचित है। 96

(17) पत्नी की बीमारी के कारण अनुपस्थित रहने के बावजूद सेवा समाप्ति-अनुचित- वर्ष में एक दिन की अनुपस्थिति अनियमित अनुपस्थित नहीं। 96

(18) दुराचरण-जानबूझकर अनुपस्थिति-जब अनुपस्थिति को अवैतनिक अवकाश स्वीकृत कर दिया गया तो उस अवधि को जानबूझकर कर अनुपस्थित रहना नहीं कहा जा सकता और शास्ति आदेश कायम नहीं रखा जा सकता। 97

(19) सात दिनों की अनुपस्थिति हेतु सेवक को निलम्बित कर सेवा से पदच्युत किया गया- शास्ति कठोर मानी गई, अतः लगातार सेवा में बने रहने के साथ सभी लाभों सहित बहाल किया गया किन्तु आचरण में सुधार के लिये पदच्युत तिथि से निर्णय की तिथि अर्थात् 4-12-1998 तक वेतन का 50 प्रतिशत पात्रित किया गया। 97

नियम 8

शासकीय सेवकों द्वारा संस्थाओं में सम्मिलित होना

(Joining of Association by Govt. servant)

1. नियम 99

2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश-

2232-160-I (iii)/68 dt. 30.1.1968 — Government Servants (Service Association) Rules, 1967 99

(1) 313/मु.स./73 दिनांक 1 मार्च, 1973 — कर्मचारी संघों से प्राप्त पत्रों का उत्तर दिया जाना। 99

(2) क्र.एफ 5/6/75/जेसीस/1 दिनांक 28 अक्टूबर, 1973 — कर्मचारी संघों से प्राप्त पत्रों का उत्तर दिया जाना। 99

(3) डी क्र. 576/1719/(3)/75 दिनांक 25 अगस्त, 1975 — शासकीय सेवकों द्वारा गैर कानूनी संगठनों में भाग न लेने के संबंध में निर्देश। 101

(4) क्र.102/337/1-15/92 दिनांक 25 जनवरी, 1992 — राज्य स्तरीय संघों को शासन के आदेश की प्रतियाँ प्रदान करने एवं उनसे प्राप्त पत्रों का उत्तर देने बाबत। 101

(5) क्र.9-2/92/कक/1-15 दिनांक 4 जुलाई, 1992	राज्य स्तरीय संघों को शासन आदेशों की प्रतियां प्रदान करने, बैठकों में आमंत्रित करने एवं उनसे प्राप्त पत्रों का उत्तर देने बाबत।	102
(6) एफ 5-6/2013/1-15/क.क., दिनांक 25.1.2016	मान्यता प्राप्त संघों की संसोधित सूची जारी करने बाबत् ।	103
(7) क्र. 2042/3246/92/1-15 दिनांक 2 नवम्बर, 1992	एक कर्मचारी संघ के सदस्यों के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना संबंधी एक विधिक आपराधिक प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई उक्तियाँ।	105
No. 2456-1549-I (iii),	Madhya Pradesh Government Servants (Recognition of Service Associations) Rules, 1959	112
(8) सी. 5-2/94/3/1 दिनांक 27 अगस्त, 1994	'कारसेवा' में भाग लेने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही ।	114
(9) क्र. सी. 5-1/97/3/1 दिनांक 20 फरवरी, 1998	शासकीय सेवकों द्वारा अखिल भारतीय वामपंथी मोर्चा संघ की गतिविधियों में भाग न लेना ।	115

नियम 8 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) संविधान का अनुच्छेद 19(1)(सी)- शासकीय सेवकों को संघ (Association) बनाने का अधिकार है — 116

(2) उच्चतम न्यायालय के मतानुसार 'प्रदर्शन के किसी स्वरूप' पर प्रतिबंध, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) तथा (बी) में दिए अधिकारों का उल्लंघन है- हड़ताल पर प्रतिबंध उचित — 119

(3) संघ या यूनियन बनाने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है- ट्रेड यूनियन का काम ही श्रमिकों की आवाज उठाना है- हड़ताल में भाग लेना ट्रेड यूनियन के क्रियाकलाप का एक भाग है- अतः पदच्युत किए गए कर्मकारों को काम पर लेना न्याय के हित में होगा — 119

नियम 9

प्रेस तथा अन्य मीडिया से सम्बन्ध

(Connection with Press or other media)

1. नियम — 120

2. मूलभूत नियमों में प्रावधान मूलभूत नियम 48 — 120

म.प्र. राज्य शासन के निर्देश-

GBC Part I, Sl.No. 9	आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक निर्देश	125
(1) 6644/748/1(3)/69, दिनांक 16 अप्रैल, 1969	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि ।	125

(2) एम/15/147/73/4/1 दिनांक 7 अगस्त, 1973	शासकीय कार्यक्रम की निमंत्रण पत्रिकाओं पर शासकीय अधिकारियों के नाम न लिखे जाने के संबंध में ।	126
(3) 1796/मुस./73 दिनांक 7.12.1973	सार्वजनिक समारोह, उद्घाटन, शिलान्यास समारोह आदि में शासकीय कर्मचारियों द्वारा भाग लेने के संबंध में ।	126
(4) 256/मुस/76, दिनांक 8 अप्रैल, 1976	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास बाबत् ।	127
(5) 319/मुस./76 28.04.1976	शासकीय अधिकारी द्वारा प्रेस कान्फ्रेन्स बुलाना	127
(6) क्र. एम. 15/78/76/4/1 दिनांक 20 सितम्बर, 1976	प्रतिमा स्थापना के संबंध में ।	127
(7) क्र. एम. 15-52/77/4/1 दिनांक 23 अगस्त, 1977	पुल, भवन, बांध आदि के उद्घाटन के लिए खर्च की स्वीकृति देने बाबत ।	129
(8) क्र. 2259/1665/1(4)/81 दिनांक 23 अप्रैल, 1981	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि के संबंध में ।	129
(9) क्र. एम. 23-27/81/4/1 दिनांक 5 दिसम्बर, 1981	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि के संबंध में ।	129
(10) क्र. एम. 19-246/85/1/4	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना ।	130
(11) क्र. एम. 19-95/87/1/4 दिनांक 23 अप्रैल, 1987	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार कराना ।	130
(12) क्र. एम. 19-69/88/1(4) दिनांक 7 अप्रैल, 1988	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना ।	130
(13) क्र. एम. 19-69/88/1(4) दिनांक 7 अप्रैल, 1988	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना ।	131
(14) क्र. एम. 19-58/92/1/4 दिनांक 30 जुलाई, 1992	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना ।	131
(15) क्र. एम. 19-146/1992/1/4 दिनांक 25 जनवरी, 1994	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन, अनावरण, शिलान्यास इत्यादि करना तथा स्वयं का प्रचार करना ।	131
(16) क्र. एम. 19-58/1992/1/4 दिनांक 23 मई, 1995	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना ।	132

(17) क्र. एम. 19-44/1995/1/4 दिनांक 29 मई, 1995 — शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना। 132

(18) क्र. एम. 19-115/1998/1/4 दिनांक 17 अगस्त 1998 — शासकीय आयोजनों के संबंध में। 133

(19) क्र. सी. 3-19/2000/3/एक दिनांक 12 जुलाई, 2000 — शासकीय अधिकारियों द्वारा समाचार-पत्रों/दूरदर्शन में समाचार का प्रकाशन/प्रसारण। 133

नियम 9 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) साहित्यिक कार्य प्रकाशित कराने हेतु अनुमति-न्यायिक अधिकारी द्वारा संविधि (Statute) से संबंधित कानून की व्याख्या के प्रकाशन हेतु अनुमति-यदद्यप इसका प्रकाशन नियम 9 के अंतर्गत नहीं आता तथापि उच्च न्यायालय पुनः विचार करें 134

(2) यूनियन के सचिव द्वारा रेलवे की दुर्घटनाओं बाबत कर्मचारियों की प्रतिक्रिया तथा विचार लिखतना अवचार नहीं है 134

नियम 10

शासन की आलोचना

(Criticism of Government)

1. नियम 135

2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश-

(1) म.प्र. सामान्य पुस्तक परिपत्र में सम्मिलित निर्देश 135

3. नियम 9 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) भाषा विवाद सम्बन्धी भाषण पर अनिवार्य सेवानिवृत्त- अभिनिर्धारित संविधान के अनुच्छेद 19(2) के प्रावधान लागू नहीं अतः शास्ति आदेश निरस्त 137

(2) नियुक्ति- निरर्हिता (Disqualification)- आपातकाल में एक अवसर पर नारेबाजी हेतु भारत सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सिद्धदोष ठहराया गया- इसे छिपाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त- अनुचित 137

(3) केन्द्रीय आचरण नियम 9 का दूसरा परन्तुक (म.प्र. आचरण नियम 10 का दूसरा परन्तुक) - शासन की आलोचना - क्या आल इंडिया रेडियो के स्टाफ को रेडियो पर व्यक्तिगत शिकायतों पर प्रकाश डालने के लिए दूसरे परन्तुक के अंतर्गत छूट प्राप्त है ?- अभिनिर्धारित नहीं 137

(4) सरकार की आलोचना-अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 नियम 7(i) [म.प्र. आचरण नियम, 10(i)]- संवैधानिक वैधता- अभिनिर्धारित, शासकीय सेवक को वाक्-स्वतंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्र्य (Freedom of Speech and Expression) तथा किसी वृत्ति या उपजीविका (any profession or occupation) का अधिकार है- नियम 7(i) द्वारा लागू प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) नहीं रोकता क्योंकि सरकार की नीति की प्रत्येक आलोचना लोक व्यवस्था (public order) को प्रभावित नहीं करती-तथापि अनुच्छेद 19(6) इस नियम का निराकरण करता है क्योंकि नियम में लगाए प्रतिबंध को लोकहित में कहा जा सकता है। 139

नियम 7(i) मि.प्र. आचरण नियम 10(i)] का अर्थ यह लगाया जाएगा कि शासकीय सेवक सेवा शर्तों से सम्बन्धित मामलों पर अपनी शिकायतों पर संगम (association) द्वारा सरकार की आलोचना कर सकते हैं किन्तु सरकार की ऐसी नीतियों या कृत्यों के बारे में जो उनसे सम्बन्धित न हों, ऐसा नहीं कर सकते। 139

(5) आचरण नियमों में जो प्रतिबंध लगाये गये हैं वे उचित हैं- बिना अनुमति के राज्यपाल को पत्र लिखना, नियोजक-निगम पर कुप्रकार्य (malfunctioning) का अभिकथन करना- तथ्यों के आधार पर अधिरोपित शास्ति उचित। 142

नियम-11

समिति या किसी अन्य अधिकारी के समक्ष साक्ष्य

(Evidence before a Committee or any other Authority)

1. नियम 143

2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश- 143

(1) पुस्तक परिपत्र भाग दो, न्यायालय द्वारा शासकीय सेवक को साक्ष्य देने के प्रयोजन से शासकीय दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाये जाने पर अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया 144

(2) मूलभूत नियम 112 तथा 113 साक्ष्य देने, विभागीय जाँच पर उपस्थित होने अथवा दीवानी या फौजदारी दोषारोप के उत्तर देने हेतु यात्रा बाबत। 147

नियम 12

अप्राधिकृत रूप से जानकारी देना

(Unauthorised Communication of Information)

1. नियम 154

2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश- 154

पुस्तक परिपत्र भाग-1, क्र. 9 आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक निर्देश 154

पुस्तक परिपत्र भाग-2, क्र. 1 शासकीय पत्र व्यवहार 154

(1) क्र. एफ-11/18/98/9/एक दिनांक 3 फरवरी, 1999 शासकीय पत्राचार में अधिकारियों द्वारा अपने नाम और पद का स्पष्ट उल्लेख करने बाबत। 157

(2) क्र. सी 5-1-96-3-एक दिनांक 27 मार्च, 2001 शासकीय सेवकों द्वारा अपने हित में शासकीय दस्तावेजों का दुरुपयोग। 157

(3) क्र. सी-5/2/2008/3/एक दिनांक 24.10.2008 म.प्र. सिविल सेवा आचरण-नियम, 1965 में संशोधन। 158

(4) क्र. सी-5-2-2008-3-एक दिनांक 27 सितम्बर, 2008 शासकीय सेवकों द्वारा अपने हित में शासकीय दस्तावेजों का दुरुपयोग। 158

3. नियम 12 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) नियम की संवैधानिकता 159

नियम 13

चन्दा

(Subscription)

1. नियम 160

2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश 160

(1) पुस्तक परिपत्र भाग 1, क्र. 9 — सामान्य पुस्तक परिपत्र में सम्मिलित निर्देश 160

(2) पुस्तक परिपत्र भाग दो, क्र. 10 — जनहित के कामों के लिए चन्दा तथा दान इकट्ठा करना 161

(3) क्रमांक 388-मु.स/76, दिनांक 6-5-1976 — शासकीय अधिकारियों द्वारा चन्दा एकत्र करने के बारे में। 163

क्रमांक 5214/5754/(4), दिनांक 21-9-1981 — तदैव 163

क्रमांक 6108/1 (4), दिनांक 18-10-1982 — तदैव 163

(4) क्रमांक एफ. 8-39/88/9/49, दिनांक 21-4-1989 — शासकीय अधिकारियों द्वारा जनहित के कार्यों के लिये चन्दा एवं दान एकत्रित यिा जाना तथा दानदाताओं के नाम पर शासकीय भवनों एवं संस्थाओं का नामकरण 166

(5) क्र. एफ-11-21/92/9/1, — मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 167

शासकीय सेवकों द्वारा चन्दा इत्यादि एकत्र न किये जाने के संबंध में निर्देश।

(6) क्र. एफ-19-134/2000/1/4, दिनांक 12-9-2000 — शासकीय अधिकारियों द्वारा जनहित के कार्यों के लिए चन्दा/दान एकत्रित किया जाना तथा दानदाताओं के नाम पर शासकीय भवनों एवं संस्थाओं के नामकरण संबंधी नियमों के सरलीकरण बाबत। 168

3. नियम 12 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) दान संग्रह- किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के किसी निगम का कोई कर्मचारी किसी न्यास अथवा अन्य संगठन के लिए अपने नियोजन के दौरान सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों से दान संग्रह नहीं करेगा क्योंकि इससे दूषित और हानिकारक परिणाम निकलने की संभावना है 169

(2) आरक्षकों द्वारा रिट-याचिका फाइल करने के लिए आपस में चन्दा करना- अवचार नहीं है- प्रत्येक नागरिक न्यायालय पहुँचने के लिए स्वतंत्र है-रिट याचिका खर्चों सहित स्वीकार, आरोपपत्र अपास्त 169

नियम 14

उपहार

(Gifts)

1. नियम 171

2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश- 171

(1) G.B.C. part I, Sl. No. 9 Para 9 — सामान्य पुस्तक परिपत्र में सम्मिलित निर्देश 172

(2) क्र. 375/सी.आर. 309/1(3) दिनांक 30 जून, 1972 — निकट संबंधियों से प्राप्त उपहार की सूचना देना मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 173

(3) एफ. सी-5-1/2000/3/एक दिनांक 19.4.2000 — शासकीय व्यय पर क्रय की जाने वाली वस्तुओं/सुविधाओं पर प्रोत्साहन स्वरूप मिलने वाली मुफ्त उपहार/सुविधा शासन के खाते में जमा करने बाबत। 173

नियम 15

शासकीय सेवकों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन

(Public demonstration in honour of Govt. Servants)

1. नियम 174

2. राज्य शासन के निर्देश- 174

(1) G.B.C. Part I, Sl. No. — आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक अनुदेश 174

(2) मूलभूत नियम 74(ए) के अंतर्गत पूरक नियम — चरित्र प्रमाण-पत्र देने का नियम- मूलभूत नियम 74(ए) का पूरक नियम 32 175

(3) मूलभूत नियम 74(ए) का पूरक नियम — शासकीय सेवकों की समाप्ति पर सेवापुस्तिका का निपटारा। 175

(4) No. 7190-9221-I/57, — Public demonstrations in honour of Government Servants-Clarification of provisions contained in Government Servant's Conduct Rules. 176

नियम-16

प्राइवेट कारबार या नियोजन

(Private business or employment)

1. नियम 177

2. राज्य शासन के निर्देश- 178

G.B.C. part I, Sl. No. 9 Para 11 and 21 — आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक निर्देश 178

21-B. पुस्तक परिपत्र, भाग-एक, क्रमांक -11

क्रमांक 822-8279-एक, दिनांक 25-1-58 — सरकारी कर्मचारियों द्वारा नौकरी की तबदीली 181

(1) क्रमांक 336/1174 (3)/76, दिनांक 16 अगस्त, 1976 — शासकीय सेवकों के आवेदन-पत्र अन्य उच्च पदों के लिये अग्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में। 185

(2) डी. क्रमांक 388/1174/1(3)/76, दिनांक 16 अगस्त, 1976 — शासकीय सेवकों के आवेदन-पत्र अन्य उच्च पदों के लिये अग्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में। 185

(3) क्रमांक 453/712/1 (3)-79, दिनांक 12-11-1979 — राज्य सरकार के अधीन सेवा कर रहे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र संघ लोक सेवा आयोग को अग्रेषित किये जाने बाबत। 186

(4) क्रमांक 626/2078/1//(3)/81, दिनांक 22-12-1981 — बैंकों की सेवाओं में भर्ती के लिये हरिजन, आदिवासी शासकीय कर्मचारियों को सीधे आवेदन-पत्र दिये जाने की छूट प्रदान करने बाबत। 187

21-C. पुस्तक परिपत्र, भाग-एक, क्रमांक -12

छुट्टी पर रहने वाले अधिकरियों को गैर सरकारी नौकरी को स्वीकार करने की अनुमति देना 187

21-D. पुस्तक परिपत्र, भाग-दो, क्रमांक -10

जनहित कार्यों के लिये चन्दा तथा दान इकट्ठा करना

(1) Mem.No. 9019-5116-1 dt. 8th July, 1957 — Opportunities for Government Servants to improve their educational qualifications. 191

(2) Mem.No. 413-2681/I(iii)/61 9th Feby, 1961 — Dealings of a Government Servant with a registered Co-operative Society 192

(3) Mem.No. 2412-1270-I(iii)/61 22nd September, 1961 — Permission for attending classes in educational institution and taking higher examinations. 192

(4) Mem.No. 137/19887/I(iii)/64 15th Janaury, 1965 — Recognition of Technical and Professional Qualifications. 192

(5) क्र. 410/462-1(3)/72 दिनांक 13 जुलाई, 1972 — शासकीय सेवकों द्वारा बिना शासन की अनुमति से उच्च शिक्षा प्राप्त करने संबंधी। 193

(6) क्र. 713/75 दिनांक 28 जुलाई, 1975 — शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दूध बेचने का धंधा करने पर रोक लगाने के बारे में। 193

(7) क्र. सी-3-30/84/3/1 दिनांक 15 नवम्बर 1984 — शासकीय सेवकों को शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने हेतु अनुमति प्रदान करने बाबत। 194

(8) क्र. सी-12-24/91/3/1 दिनांक 21 जनवरी, 1992 — शासकीय सेवकों, परिवार के सदस्यों, उनके रिश्तेदारों द्वारा शासकीय आवास गृहों में व्यवसाय करने पर प्रतिबंध। 194

(9) क्र. सी-5-5/92/3/1 दिनांक 20 अगस्त, 1992 — शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के सदस्यों द्वारा निजी व्यापार या नौकरी करने की सूचना देने के संबंध में। 195

3. नियम 16 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) 'प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार या कारोबार' का अर्थ 195

(2) केन्द्रीय आचरण नियम 15 तथा मूलभूत नियम 11- सरकार के नियोजन के 195

दौरान, बिना अनुमति प्राप्त किए, निजी नियोजन में काम करना.- आरोप सिद्ध, सेवा से हटाने का आदेश कायम रखा गया
(3) केन्द्रीय आचरण नियम 15(1)- जानबूझकर अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहना तथा बैंक में काम करना और वेतन प्राप्त करना- अभिनिर्धारित, गंभीर अवचार के लिए पदच्युत उचित 196
(4) केन्द्रीय आचरण नियम 15(1)- सेवा से जानबूझकर परित्याग-कार्यालय के माध्यम से बिना आवेदन भेजे विदेशिक नियोजन तलाश करना-शासकीय सेवक का अशोभनीय आचरण-तथ्यों पर नियम 15(1) के अन्तर्गत अवचार सिद्ध नहीं 197
(5) कार्यालय में निजी कार्य करना व्यापार या कारोबार नहीं है 198

नियम 17

विनियमन, उधार देना या उधार लेना

(Investment, Lending and Borrowing)

1. नियम
2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश- 199
GBC Part I, Sl. No. 9 म.प्र. सामान्य पुस्तक परिपत्र के निर्देश 200
Para 12 200
3. नियम 17 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-
(1) नियम का अन्तर्निहित सिद्धान्त
(2) ऋणग्रस्तता का तात्पर्य आदत से है, एकल दृष्टान्त पर आधारित नहीं होगा 201
(3) जब तक अवांछनीय तथा असंयमित आदतों के परिणामस्वरूप ऋणग्रस्तता की आदत न हो, कार्यवाही नहीं करना चाहिए 201 201
(4) नियम 7(4)(ए)- 'पदीय संव्यवहार होने की संभावना' (likely to have official dealings) का उच्चतम न्यायालय द्वारा परीक्षण 202
(5) नियम 17(4) (एक) (ए)- ऐसे मित्र से उधार लेना जिससे शासकीय सेवक का पदीय संव्यवहार न हो और उसके प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर भी न हो, आचरण नियमों का उल्लंघन नहीं होगा 202

नियम 18

ऋण शोध क्षमता तथा स्वभावतः ऋण ग्रस्तता

(Insolvency and habitual indebtedness)

1. नियम
2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश- 204
GBC Part I, Sl. No. 9 पूरक हिदायतें 204
Para 13 204
3. नियम 18 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-
(1) ऋणग्रस्तता का तात्पर्य स्वभावतः से है, एकल दृष्टान्त पर आरोप आधारित नहीं होगा 205

(2) जब तक अवांछनीय तथा असंयमित आदतों के परिणामस्वरूप ऋणग्रस्तता की आदत न हो, कार्यवाही नहीं करना चाहिए 205

(3) ऋणग्रस्तता-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1), (ख) तथा (ख) यदि कोई अधिकारी सामान उधार लेता है (भले ही उसकी कीमत अदा करने का उसका इरादा न भी रहा हो) तो इसे बिना प्रतिफल के मूल्यवान वस्तु अभिप्राप्त करना नहीं कहा जा सकता- माल उधार लेना 'धनीय फायदा' अभिप्राप्त करने की कोटि में नहीं आता 205

नियम 19

जंगम स्थावर तथा अन्य मूल्यवान सम्पत्ति

(Movable, Immovable and Valuable Property)

1. नियम 207

2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश-

(1) GBC Part I, Sl. No. 9, para 14 — आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक निर्देश 211

(2) Mem. No. 1933-1505/I(iii)/60 dt. 27th August, 1960 — Immovable property Form of return prescription of and instructions regarding. 212

(3) Memo No. 614-1131/I(iii)/60 27th Feb., 1961 — Purchase and disposal of immovable property by Government Servants 213

(4) Memo No. 204/49/I (iii) dated the 25th January, 1962 — Immovable Property Transactions relating to 214

(5) Memo No. 1857/CR-227/I (iii)/62 dt. the 22.8.1962 — Immovable Property Transactions relating to. 215

(6) Memo No. 2351/1734/I(iii)/62 9th November, 1962 — Immovable Property returns prescribed under the Conduct Rules- Maintenance of 215

(7) क्र. 1950/2521/1 (3)/65, दिनांक 15 सितम्बर, 1965 — म. प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अन्तर्गत मकान बनाने या उसका विस्तार करने के लिए जमीन व सामान खरीदने की सूचना विहित प्राधिकारी को देने के लिए फार्म। 216

(8) क्र. 24930/2992/एक(3) दिनांक 22 नम्बर, 1968 — शासकीय सेवकों द्वारा जंगम और स्थावर संपत्ति खरीदी और बिक्री करने के लिए प्रक्रिया। 218

(9) क्र.-420/1019/1(3) दिनांक 9 जून, 1969 — शासकीय सेवकों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मार्फत से जंगम संपत्ति के लेन-देन करने के संबंध में अनुदेश। 219

(10) क्र. 174/278/एक (तीन)/74 दिनांक 7 मार्च, 1974 — शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल संपत्ति का विवरण भेजने के संबंध में जारी किये गये आदेश का पालन करना। 219

(11) एफ. क्रमांक सी-5-1-83-3-एक दिनांक 1 नवम्बर, 1983 — मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965- नियम 19(4) - अचल सम्पत्ति का विशेष विवरण (Special Return) प्रस्तुत करने के संबंध में। 220

(12) एफ. क्रमांक सी-5-1/85/3-1 दिनांक 6 मई 1986	शासकीय सेवकों द्वारा चल एवं अचल संपत्ति का क्रय-विक्रय बाबत ।	221
(13) क्र. 657/231/86/6/एक	म.प्र. राज्य सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अंतर्गत डिप्टी कलेक्टरों के कार/स्कूटर अग्रिम स्वीकृत करने के पूर्व शासन के सूचना की अभिस्वीकृति या अनुमति प्राप्त करने के संबंध में ।	222
(14) क्र. सी-5-1/94/3/एक दिनांक 5 जनवरी, 1994	शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल सम्पत्ति का विवरण भेजने के संबंध में जारी किये गये आदेशों का पालन करना ।	223
(15) क्र. सी-3-26/2000/3/एक दिनांक 27 सितम्बर, 2000	प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शासकीय सेवकों द्वारा वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में ।	223
(16) क्र.सी.- 5-1/2002/3/एक, दिनांक 4-5-2002	शासकीय सेवक को चल-अचल संपत्ति का अर्जन अथवा निर्माण करने के सम्बन्ध में आचरण नियमों के अंतर्गत स्वीकृति देने के सम्बन्ध में।	223
(17) क्र. सी-5-1/2010/3/एक, दिनांक 15 फरवरी, 2010	शासकीय सेवकों के अचल सम्पत्ति विवरण कम्प्यूटर बेवसाइट पर उपलब्ध कराना।	224
(18) क्र. सी-5-1/2010/3/एक दिनांक 01 मई 2010	शासकीय सेवकों के अचल सम्पत्ति विवरण कम्प्यूटर वेबसाइट पर उपलब्ध करना ।	226
(19) क्र. सी-5-1/2010/3/एक दिनांक 3 मई 2010	शासकीय सेवकों के अचल सम्पत्ति विवरण कम्प्यूटर वेसाईट पर उपलब्ध कराना।	226
(20) क्र. सी-5-1/2010/3/एक दिनांक 14 मई 2010	शासकीय सेवकों के अचल सम्पत्ति विवरण कम्प्यूटर वेबसाईट पर उपलब्ध कराना।	227
(21) क्र. सी-5-1/2010/3/एक दिनांक 01 जुलाई 2010	शासकीय सेवकों के अचल सम्पत्ति विवरण का वेबसाईट पर अपलोडिंग।	227
छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश-		
(1) क्र. एफ -11-1/2009/1-3 दिनांक 8-9-2009	शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल सम्पत्ति का विवरण भेजने के संबंध में जारी किये गए आदेशों का पालन करना ।	228
(2) क्र. 174/278/एक (तीन)/74 दिनांक 07 मार्च 1974	शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल संपत्ति का विवरण भेजने के संबंध में जारी किए गए आदेश का पालन करना।	229
(3) क्र. एफ-सी-5-1/94/3/एक दिनांक 05-01-1994	शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल संपत्ति का विवरण भेजने के संबंध में जारी किये गए आदेशों का पालन करना।	229
(4) क्र.सी. 3-26/2000/3/एक दिनांक 27-09-2000	प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शासकीय सेवकों द्वारा वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में ।	230

(5) क्र. एफ -2-1/2012/1-3 दिनांक 18.04.2013	अचल सम्पत्ति का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना ।	230
(6) क्रमांक 356/366/2008/एक/4, दिनांक 5/3/2014	शासकीय सेवा में नियुक्ति- शासकीय सेवकों से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-23 के अंतर्गत घोषणा-पत्र प्रेषित करने बाबत्।	231
(7) क्र. एफ -10-7/2003/1/5 दिनांक 13 दिसम्बर, 2005	माननीय संसद सदस्यों एवं विधायकों से शासकीय अधिकारियों द्वारा सौहार्द्रपूण व्यवहार और लोक महत्व के मामलों में तथ्यात्मक जानकारी का प्रदाय-समेकित अनुदेश।	231
(8) 688/एल-17/2/ब-4/चार/2003 दिनांक 23 दिसम्बर, 2005	वर्ष 2005-2006 के लिये राज्य भविष्य निधि पर देय ब्याज दर।	232
(9) क्र.10-7/2003/1/5 दिनांक 4 जुलाई, 2006	माननीय संसद सदस्यों एवं विधायकों से शासकीय अधिकारियों द्वारा सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार और लोक महत्व के मामलों में तथ्यात्मक जानकारी का प्रदाय-समेकित अनुदेश।	232
(10) No. 11013/6/2005-Estt. (A) Dated the 16th June, 2006	Observance of courtesy by officers in their dealings with MPs and MLAs.	232

3. नियम 19 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) ज्ञात आय स्रोतों के अनुपात से यदि अर्जित जायदाद अधिक हो तो यह अनुमान लगाया जाएगा कि बेईमानी से अवैध अर्जित की गई 233

(2) (अ) अचल सम्पत्ति का अर्जन तथा विक्रय-बेनामी लेन-देन नियम 18(2) तभी लागू होगा, जब शासकीय सेवक द्वारा सम्पत्ति का अर्जन या विक्रय बेनामी किया जाए। यदि शासकीय सेवक के परिवार का कोई सदस्य वास्तव में स्वामी के विक्रय या अर्जन से यह नियम शासकीय सेवक पर लागू नहीं होगा-इस नियम के अंतर्गत दुराचरण सिद्ध करने के लिए बेनामी लेनदेन की सभी शर्तों को सिद्ध करना पड़ेगा । 233

(3) (ब) पति-पत्नी (Spouse) अथवा शासकीय सेवक के परिवार के किसी दूसरे सदस्य द्वारा अपने धन (स्त्रीधन, उपहारों, दायप्राप्ति इत्यादि) से अपने नाम सम्पत्ति क्रय की जाये तो नियम 18(2) तथा (3) के प्रावधान लागू नहीं होंगे, अर्थात् शासकीय सेवक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा 234

(4) आय के ज्ञात स्रोतों से अनुपातहीन परिसम्पत्ति-स्पष्टीकरण की असफलता- भ्रष्टाचार की परिकल्पना-अभिनिर्धारित, (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 का सेक्शन 5(3) विभागीय कार्यवाहियों में भी लागू, (2) सेवक को परिसम्पत्ति का स्पष्टीकरण सन्देह से परे देना होगा- वाउचरों सहित आय-व्यय के सम्पूर्ण लेखे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि संयुक्त परिवार में ऐसा प्रस्तुतीकरण बहुत कठिन है।

(5) आय के ज्ञात स्रोतों से अनुपातहीन परिसम्पत्ति-स्पष्टीकरण की असफलता-भ्रष्टाचार की परिकल्पना-अभिनिर्धारित, (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 का सेक्शन 236

5(3) विभागीय कार्यवाहियों में भी लागू, (2) सेवक को परिसम्पत्ति का स्पष्टीकरण सन्देह से परे देना होगा- वाउचरों सहित आय-व्यय के सम्पूर्ण लेखे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि संयुक्त परिवार में ऐसा प्रस्तुतीकरण बहुत कठिन है।
आय के 10 प्रतिशत से कम अनुपातहीनता को छोड़ना होगा- अनुपातहीनता केवल 2.50 प्रतिशत ही है अतः भ्रष्टाचार का आरोप कायम नहीं ।
चल सम्पत्ति की जानकारी देना अनिवाय- जानकारी न देना इतना गंभीर दुराचरण नहीं कि पदच्युत किया जाए- परिनिन्दा पर्याप्त ।

(4) नियम 19(2)- शासकीय सेवक, विहित प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना न तो स्वयं अपने नाम से और न ही अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से कोई स्थावर सम्पतित्त क्रय करेगा और न विक्रय ही । पूर्व मंजूरी भी लेना आवश्यक है- मकान क्रय करने के लिए अग्रिम बाबत् निवेदन करने का तात्पर्य नियम 19(2) की शर्तों के अनुसार, पूर्व जानकारी देना नहीं है । 238

नियम 20

शासकीय सेवकों के कार्यों तथा चरित्र का निर्दोष सिद्ध किया जाना

(Vindication of Acts and Character of Government Servants)

1. नियम 239

2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश-

GBC, Part I, Sl. No. 9 आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें 239

3. नियम 20 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 का नियम 17- सेवा के सदस्यों के कार्यों और चरित्र के विरुद्ध दोष के प्रतिकार हेतु सदस्यों पर अवरोध-किसी समारोह में दिया गया भाषण उसका पदीय कार्य नहीं माना जाएगा और व्यक्तिगत हैसियत में किए गए कार्य नियम 17 द्वारा लगाए गए अवरोध के क्षेत्र से बाहर होंगे- अतः नियम 17 आकर्षित नहीं होगा 240

(2) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 का सेक्शन 3 (क्यू) (पाँच)-सेवा के मामले-सरकार के CrPC के सेक्शन 197 के अंतर्गत स्वीकृति देने से इन्कार करने के संबंध में शिकायत-अधिनियम के क्लाज (पाँच) के अन्तर्गत सेवा का मामला नहीं- अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 का नियम 17 भी लागू नहीं। अतः याचिका निरस्त 241

नियम-21

अशासकीय व्यक्ति का प्रचार या अन्य प्रभाव डालना

(Canvassing of Non-official or other Influence)

1. नियम 243

2. म.प्र. राज्य शासन के निर्देश-

GBC, Part I, Sl. No. 9 आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें 243
Para 16

3. नियम 21 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) No. 16080-2375/I (iii), 6th August, 1959 — Transfers and postings of Government servants — 243

(2) No. 279/272/I (iii)/65 5th February, 1966 — Transfers and postings of Government servants. — 244

(3) क्रमांक 1575/1964/एक (3) दिनांक 27 सितम्बर, 1969 — शासकीय कर्मचारियों द्वारा बिना अनुमति के मुख्यमंत्री जी से अपने सेवा से संबंधित मामलों के संबंध में मुलाकात करने के बारे में अनुदेश। — 244

(4) क्रमांक 555/220/एक (3), दिनांक 20 फरवरी, 1970 — शासकीय सेवकों द्वारा अभ्यावेदनों की प्रतियाँ ऐसे अधिकारियों को भेजना जिनका उस पर कोई प्रशासकीय नियंत्रण न हो। — 245

(5) क्र. 1272/प्रसको/70, दिनांक 12 नवम्बर, 1970 — शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डालना। — 245

(6) एफ क्र. सी/13-14/73/3/1 — सचिवालय तथा विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में स्थापना शाखा में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में। — 246

(7) एफ. क्र. 5-6/77/3/1, दिनांक 4 जुलाई, 1977 — शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानान्तर, पदस्थापना, इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना। — 246

(8) एफ. क्र. 5-6/77/3/1 दिनांक 29 जुलाई, 1977 — शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानान्तर, पदस्थापना इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना। — 246

छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश-

(1) क्र.एफ-1-2/2003/1/3 दिनांक 2 जून 2004 — शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानान्तरण, पदस्थापना इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना। — 247

(2) क्र.एफ-5-6/77/3/1, दिनांक 4 जुलाई, 1977 — शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानान्तर, पदस्थापना, इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना। — 248

(3) क्र.एफ-2-1/2003/1/3 दिनांक 16 जून 2003 — शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानान्तर, पदस्थापना इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना। — 248

नियम 21 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

स्थानान्तर पर राजनीतिक दबाव डालना — 249

नियम-22

द्विविवाह

(Bigamous Marriage)

1. नियम — 250

2. म.प्र. राज्य शासन के अनुदेश

GBC, Part I, Sl. No. 9 Para 17 — 250

छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश-

(1) क्र. एफ 2-1/2004/1-3 दिनांक 28 जून, 2006 — कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के संबंध में निर्धारित मागदर्शी सिद्धान्त का अनुपालन। — 250

(2) क्र. एफ-02-01/2004/1-3 दिनांक 10 अप्रैल, 2013 — कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के संबंध में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन। 251

- No. 1482-945/I (iii)/61 6th June, 1961 — Plural marriages-Requests of Government servants for permission to remarry while first wife is still living. 252

3. नियम 22 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) आचरण नियम में पत्नी के जीवित रहते दूसरे विवाह के लिये अनुज्ञा प्राप्त करना मुस्लिम समुदाय के शासकीय सेवकों के लिये लागू है और नियम वैध है 252

(2) बिना अनुमति के मुस्लिम शासकीय सेवक द्वारा तीसरा विवाह करना-चूंकि मुस्लिम स्वीय विधि में ऐसा विवाह अनुज्ञेय है अतः शास्ति कठोर : -एक वेतनवृद्धि रोकना पर्याप्त 253

(3) एक शासकीय सेवक का दूसरे शासकीय सेवक से द्विविव ह करना-आचरण नियम का उल्लंघन-सेवा से पदच्युत करना उचित-शास्ति की मात्रा का न्यायिक परीक्षण 254

(4) बिना अनुमति के दूसरा विवाह करना-आरोप अस्पष्ट तथा कहे-सुने बयानों पर विश्वास का प्रभाव-विभागीय जांच में प्रमाण का मापदण्ड 254

(5) द्विविवाह का आरोप-विभागीय जांच-विभागीय कार्यवाही के सीमित उद्देश्य के लिये दूसरे विवाह के प्रश्न को परीक्षण से विभागीय प्राधिकारियों को रोका नहीं जा सकता। पदच्युत आदश के प्रचलन को उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर स्थगित करना कि दूसरे विवाह का प्रश्न विभागीय प्राधिकारियों के निर्णय पर नहीं तोड़ा जा सकता,उचित नहीं था-अभिनिर्धारित, विभागीय कार्यवाहियों के बाद अपचारी अपने वैवाहिक स्थिति (matrimomat status) हेतु सिविल या वैवाहिक न्यायालय जा सकता है। 255

(6) पत्नी के जीवित रहते दूसरी स्त्री से सम्बन्ध रखना-विभागीय जांच में दूसरी स्त्री का बयान न लेना, अभियोजन के लिये घातक-साक्ष्य के अभाव में आरोप स्थापित नहीं। पुरुष शासकीय सेवक का एक स्त्री से यौन संबंध रखना-क्या प्रतिषेधी कानून अनुपस्थिति में दुराचार है, हाँ। 256

नियम 22-क

अवचार की सामान्य धारणा

(General Concept of Misconduct)

1. नियम 257

2. म.प्र. राज्य शासन के अनुदेश

GBC Part I, Sl. No. 9 para 3 — आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें- देखें नियम 3 के निर्देश । 257

नियम 22क के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) शासकीय आवास का रिक्त न करना कदाचार है- सेवक ने, कार्यालय की अनुमति से, अपने साथी के आवास में, जो मूल ग्राही (allottee) था, इस लिखित वचनपत्र 257

के साथ रहता था कि जब मूल ग्राही, आवास खाली करेगा तब वह भी खाली कर देगा-किन्तु उसने ऐसा करने से इन्कार किया-अभिनिर्धारित, इसे उचित नहीं कहा जा सकता और न ही प्रोत्साहित किया जा सकता है- अतः अनुशासनिक कार्यवाही उचित-यह तर्क अस्वीकार किया गया कि आचरण नियम आकृष्ट नहीं होते।

नियम-23

मादक पेयों तथा औषधियों का उपभोग

(Consumption of Intoxication Drinks and Drugs)

1. नियम 259

2. म.प्र. राज्य शासन के अनुदेश 259

(1) G.B.C. Part I, Sl. No. 9 Para 20 — आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें। 259

(2) क्र. सी. 5-2/84/3/I दिनांक 16 मई, 1984 — मादक पेयों और औषधियों के सेवन के संबंध में आचरण नियमों में दिये गये उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन करने की आवश्यकता। 259

(3) एफ. क्र. सी-41/90/3/49 दिनांक 9 अगस्त, 1990 — शासकीय सेवा में नियुक्ति-कर्मचारियों से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-23 के अंतर्गत वचन-पत्र लेना। 260

3. नियम 23 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय-

(1) ड्यूटी पर रहते हुए बस ड्रायवर का शराब पीना-अवचार 261

(2) पुलिस आरक्षक का रिवाल्वर सहित अधिकतम नशे की स्थिति में ड्यूटी पर होना-गंभीरतम अवचार का कृत्य, सेवा से पदच्युत उचित 262

नियम 23-क

14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध

(Prohibition regarding Employment of Children below in 14 years of age)

1. नियम 263

2. म.प्र. राज्य शासन के अनुदेश

(1) क्र. सी.-5-1/93/3/एक दिनांक 27 सितम्बर, 2000 — शासकीय कर्मियों द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से गृह कार्य न करवाने बाबत। 263

नियम-24

निर्वचन

(Interpretation)

1. नियम 264

2. नियम 24 के संदर्भ में न्यायालयीन निर्णय- 264

(1) विवेक के अधीन शक्तियों का प्रयोग 264

(2) सुमन गुप्ता बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य 264

नियम-25

शक्तियों का प्रत्यायोजन

(Delegation of Powers)

1. नियम 265

2. शक्तियों का प्रत्यायोजन इन नियमों के अंतर्गत प्रत्यायोजित शक्तियाँ 265

नियम-26

निरसन द्वारा व्यावृत्ति

(Repeal and Saving)

1. निरसित नियम 267

परिशिष्ट

(Appendix)

(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 268

(ख) मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982 282

(ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 299

(घ) आचरण नियम अनुसार कार्य जिन्हें करने के पूर्व शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है तथा कार्य जिसमें स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है का परिशिष्ट 304

(ङ) शासकीय कर्मचारी अपने कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान क्या करें ? और क्या न करें ? 306

- - - - -